भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

**(खेल विभाग)**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 773**

**उत्तर देने की तारीख 16 अगस्‍त, 2012**

25 श्रावण, 1934 (शक)

**खेल निकायों के कार्यकरण में पारदर्शिता**

**773. डा॰ टी॰ एन॰ सीमा:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेल निकायों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने तथा उनकी जवाबदेही के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने देश के बोर्ड आफ कन्ट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई)

और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अनियमितताओं के विभिन्न आरोपों की जांच की है;और

(ग) क्या यह संभव नहीं है कि बीसीसीआई जैसे खेल निकायों को प्रत्येक लेन-देन तथा संवीक्षा

के मामले में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जवाबदेह बनाया जाए ताकि इसके कार्यकरण में पारदर्शिता

सुनिश्चित हो सके?

**उत्तर**

युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(श्री अजय माकन)

(क) राष्‍ट्रीय खेल निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहता लाने के लिए सरकार ने एक नियामक रूपरेखा तैयार की है जिसका उद्देश्‍य खेल निकायों के बीच सुशासन का विकास करना है । राष्‍ट्रीय खेल विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है ताकि स्‍टेकहोल्‍डरों से विधायी पूर्व परामर्श लिया जा सके, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्‍नानुसार हैं:

(i) खेलों के विकास एवं उन्‍हें बढ़ावा देने के लिए जिसमें वित्‍तीय और अन्‍य सहायता राष्‍ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्‍याणात्‍मक उपायों की तैयारी एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की कार्यपद्धति जिसमें खेलों में डोपिंग को खत्‍म करना, आयु संबंधी फ्राड एवं यौन उत्‍पीड़न के मामले एवं भारतीय ओलंपिक संघ और राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं के मामले शामिल हैं, के लिए केंद्रीय सरकार की सहायता (इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्‍यवसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है) ।

(ii) संबंधित राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रबंधन/निर्णय लेने के संबंध में एथलीट सलाहकार परिषद के माध्‍यम से एथलीटों को शामिल करना ।

(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कर्तव्‍य एवं जिम्‍मेदारियां जिन्‍हें स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित किया गया है ।

(iv) खेल विवादों के समाधान हेतु कार्यविधि तथा विवाद समाधान एवं अपीलीय न्‍यायाधिकरण की स्‍थापना।

(v) राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों को और अधिक स्‍वायत्‍ता और राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों से सरकार के नियंत्रण को कम करना ।

(vi) राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लाना जिसमें खिलाड़ियों से संबंधित व्‍यक्‍तिगत / गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधानों को न रखा जाए ।

(vii) एंटी डोपिंग प्रावधान में विशेष प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें राष्‍ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्‍व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को लागू करने से अलग रखा जा सके जिनमें अंतरराष्‍ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता ।

(viii) कोचों, संरक्षकों और अन्‍य सहायक कार्मिकों को भी ये दायित्‍व सौंपे गए हैं कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

यह सुनिश्‍चित करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं कि राष्‍ट्रीय खेल परिसंघ, राष्‍ट्रीय

ओलम्‍पिक समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण खेल कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीडन रोकने के लिए न केवल उपचारात्‍मक उपाय अपनाएंगें या करेंगे, अपितु कार्य, विश्राम, स्‍वास्‍थ्‍य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उपयुक्‍त परिस्‍थितियां भी उपलब्‍ध कराएंगे । शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्‍थापना हेतु गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हुए एक महिला या विशेष काउन्‍सलर की अध्‍यक्षता में एक समिति स्‍थापित करने के अन्‍य उपाय किए गए हैं ।

(ख) और (ग): अभी कुछ ही समय पूर्व, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड(बीसीसीआई)/ आईपीएल के बारे में फ्रेंचाइजिज के आवंटन, मैच फिक्‍सिंग, निधियों की राउंड ट्रिपिंग की बेटिंग आदि संबंधी कई विवाद जो प्रिंट और इलैक्‍ट्रानिक मीडिया के विभिन्‍न माध्‍यमो द्वारा रिपोर्ट किए गए थे , वे सरकार के नोटिस में आए हैं । प्रवर्तन निदेशालय, आय कर एवं सेवा कर विभाग नामक विभिन्‍न सरकारी एजेंसियों ने देश में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड(बीसीसीआई) /इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की अनियमितताओं के आरोपों की जांच की है । खेल निकाय स्‍वायत्‍त हैं और सरकार द्वारा इन्‍हें अपने अधीन नहीं लाया जा सकता। तथापि, सरकार ने राष्‍ट्रीय खेल परिसंघों में सुशासन कार्यपद्धति को प्रोत्‍साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ।

\*\*\*\*\*